नम्बर व ता
जो इस हु
में ज

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट मुबारिकपुर)
पीठासीन अधिकारी : श्री संजय शर्मा आरएएस

प्रकरण संख्या 1/104 /11

प्रारम्भिक निर्णय दिनांक : 05.07.2016

उनवान

...सिंह पुत्र श्री हुकमसिंह जाति रायसिक्ख निवासी मुबारिकपुर तह0 रामगढ(अलवर)।

................................वादी

बनाम

...सिंह पुत्र हुकमसिंह जाति रायसिक्ख निवासी मुबारिकपुर तह0 रामगढ (अलवर)
...सिंह पुत्र मक्खन सिंह पौत्र हुकमसिंह
...सिंह पुत्र मक्खनसिंह पौत्र हुकमसिंह
...कौर पुत्री मक्खनसिंह पौत्र हुकमसिंह
...बाई पत्नी मक्खनसिंह पुत्रवधु हुकमसिंह
...सिंह नाबालिग पुत्र मनजीत सिंह पौत्र हुकमसिंह
...सिंह नाबालिग पुत्र मनजीत सिंह पौत्र हुकमसिंह
...सिंह नाबालिग पुत्र मनजीतसिंह पौत्र हुकमसिंह जर्ये सरपरस्त माता श्रीमती पासोबाई
...श्री मनजीत सिंह पुत्रवधु हुकमसिंह
...मती पासो बाई पत्नी श्री मनजीत सिंह पुत्र वधु हुकमसिंह जातियान रायसिक्ख निवासी ग्राम
...रेकपुर तह0 रामगढ जिला अलवर राज0।

....................असल प्रतिवादीगण

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, रामगढ जिला अलवर।

..............................तकमीली प्रतिवादी

(दावा बाबत धारा 53, 188 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा आरटीएक्ट 53, 88, 188 पेश कर कथन किया ... खसरा नम्बर 60 रकबा 0.24, 92 रकबा 0.21, 93 रकबा 0.21, 94 रकबा 0.26, 95 रकबा 0. ... 98 रकबा 0.17, 99 रकबा 0.19, 100 रकबा 0.01, 101 रकबा 0.16, 102 रकबा 0.16, 103 रकबा 0.07, 105 रकबा 0.39, 520 रकबा 0.47 हैक्ट0 कुल किता 14 रकबा 2.99 हैक्ट0 वाके ग्राम मुबारिकपुर तहसील रामगढ जिला अलवर में से 1/4 भाग के काबिज काश्तकार खातेदार ... को जर्ये तकसीम अलग कराया जाकर वादी के हिस्से में आई आराजी रकबा अच्छी में से ...ी व बुरी में से बुरी का इन्तकाल वादी के हक में तस्दीक कराने व इसी प्रकार लगान ...वाने व इसी प्रकार वादी के हिस्से में आई आराजी रकबा का इन्द्राजात कागजातमाल में वादी का नाम दर्ज किया जावे।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मुबारिकपुर में दिनांक 05.07.2016 को पेश हुई। प्रतिवादी उपस्थित। प्रतिवादी कुलवन्तसिंह ने निवेदन किया कि

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

नारी विवादित आराजी का विभाजन अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के आधार पर रिकार्ड अनुसार कर दे। बाद विभाजन हम एक दूसरे की आराजी के कब्जे काश्त में ाजी नही करेंगे। अपनी–अपनी आराजी पर काबिज रहेगे।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मुबारिकपुर में न किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं प्रतिवादी ने निवेदन के आधार पर त आराजी का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी तकसीम किया जाना उचित प्रतीत है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं प्रतिवादी ने निवेदन के आधार पर वाद वादीगण इस के साथ आंशिक स्वीकार किया जाता है कि खसरा नम्बर 60 रकबा 0.24, 92 रकबा 0.21, रकबा 0.21, 94 रकबा 0.26, 95 रकबा 0.26, 98 रकबा 0.17, 99 रकबा 0.19, 100 रकबा 0. 101 रकबा 0.16, 102 रकबा 0.16, 103 रकबा 0.07, 105 रकबा 0.39, 520 रकबा 0.47 कुल किता 14 रकबा 2.99 हैक्ट0 वाके ग्राम मुबारिकपुर तहसील रामगढ जिला अलवर व प्रतिवादीगण को राजस्व रिकार्ड में हिस्सा अनुसार व मौके के अनुसार अच्छी में से छी व बुरी में से बुरी नियमानुसार तकसीम कर प्रारम्भिक डिक्री विभाजन अनुसार तहसीलदार मगढ प्रस्ताव तैयार कर आगामी दिनांक 23.09.2016 से पूर्व भिजवाये। बाद विभाजन वादी व तिवादी एक दूसरे की आराजी के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत नही करेगे, इस कदर बन्द किया जावे। इसी प्रकार प्रारम्भिक पर्चा डिक्री बनायी जावे।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत मुबारिकपुर में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट मुबारिकपुर)
न अधिकारी : श्री संजय शर्मा आरएएस
न0 1/104 /11 प्रारम्भिक निर्णय दिनांक : 05.07.2016

उनवान

क सिंह पुत्र श्री हुकमसिंह जाति रायसिक्ख निवासी मुबारिकपुर तह0 रामगढ(अलवर)।
................................वादी

बनाम

वन्तसिंह पुत्र हुकमसिंह जाति रायसिक्ख निवासी मुबारिकपुर तह0 रामगढ (अलवर)
न्शा सिंह पुत्र मक्खन सिंह पौत्र हुकमसिंह
ण सिंह पुत्र मक्खनसिंह पौत्र हुकमसिंह
ताकौर पुत्री मक्खनसिंह पौत्र हुकमसिंह
ोबाई पत्नी मक्खनसिंह पुत्रवधु हुकमसिंह
तसिंह नाबालिग पुत्र मनजीत सिंह पौत्र हुकमसिंह
शनसिंह नाबालिग पुत्र मनजीत सिंह पौत्र हुकमसिंह
ना सिंह नाबालिग पुत्र मनजीतसिंह पौत्र हुकमसिंह जर्ये सरपरस्त माता श्रीमती पासोबाई
श्री मनजीत सिंह पुत्रवधु हुकमसिंह
मती पासो बाई पत्नी श्री मनजीत सिंह पुत्र वधु हुकमसिंह जातियान रायसिक्ख निवासी
मुबारिकपुर तह0 रामगढ जिला अलवर राज0।
....................असल प्रतिवादीगण

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, रामगढ जिला अलवर।
..............................तकमीली प्रतिवादी
(दावा बाबत धारा 53, 188 आरटीएक्ट)

प्रारम्भिक पर्चा डिक्री

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं प्रतिवादी ने निवेदन के आधार पर वाद वादीगण इस ाय के साथ आंशिक स्वीकार किया जाता है कि खसरा नम्बर 60 रकबा 0.24, 92 रकबा 0.21, 93 बा 0.21, 94 रकबा 0.26, 95 रकबा 0.26, 98 रकबा 0.17, 99 रकबा 0.19, 100 रकबा 0.01, 101 बा 0.16, 102 रकबा 0.16, 103 रकबा 0.07, 105 रकबा 0.39, 520 रकबा 0.47 हैक्ट0 कुल किता रकबा 2.99 हैक्ट0 वाके ग्राम मुबारिकपुर तहसील रामगढ जिला अलवर वादी व प्रतिवादीगण को जस्व रिकार्ड में हिस्सा अनुसार व मौके के अनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी यमानुसार तकसीम कर प्रारम्भिक डिक्री विभाजन अनुसार तहसीलदार रामगढ प्रस्ताव तैयार कर गामी दिनांक 23.09.2016 से पूर्व भिजवाये। बाद विभाजन वादी व प्रतिवादी एक दूसरे की आराजी के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत नही करेगे, इस कदर पाबन्द किया जावे।

र्चा डिक्री आज दिनांक 05.07.2016 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)